पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस-विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12-10-2020

दिनांक 11/12-10-2020 को रात्रि थाना मानकनगर 04, मड़ियांव 02, पारा 01, विभूतिखण्ड 01 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 पश्चिमी

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

थाना ठाकुरगंज:-दिनांक 11-10-2020 को एस0आई0 श्री जगदीटा प्रसाद पाण्डेय थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-विकास रावत पुत्र सुन्दरलाल निवासी रेलवे लाइन के किनारे लालाबाग थाना ठाकुरगंज लखनऊ को लालाबाग भुंअर, ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अद्द अवैध तमंचा .315 बोर मय एक अद्द जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना ठाकुरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना ठाकुरगंज:-दिनांक 12-10-2020 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 10-10-2020 को वादिनी निवासी ठाकुरगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा थाना ठाकुरगंज पर अपनी 15 वर्षीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट का अभियोग बनाम 1-संतोष के विरूद्ध पंजींत किया गया था। **जिसकी विवेचना एस0एस0आई0 श्री संजय द्विवेदी थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा की जा रही थी।** विवेचना के दौरान **दिनांक 11-10-2020 को** एस0एस0आई0 श्री संजय द्विवेदी थाना ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त **01-संतोष पुत्र स्व0 गरीबे निवासी कल्याणगिरी मन्दिर ठाकुरगंज थाना ठाकुरगंज लखनऊ** को मुखबिर की सूचना पर कोनेटवर तिराहा ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व थाना ठाकुरगंज पर आवटयक विधिक कार्यवाही की गयी।

डी0सी0पी0 उत्तरी

अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार।

थाना अलीगंज:-दिनांक 11-10-2020 को एस0आई0 श्री दुर्गा सिंह थाना अलीगंज लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-शानू हाशमी पुत्र मो0 नसीम निवासी 532क/164 पाण्डेय टोला थाना अलीगंज लखनऊ को नया हनुमान मंदिर के बगल तलाब के किनारे अलल्गज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 600 ग्राम अवैध गाँजा बरामद कर थाना अलीगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना जानकीपुरम:-दिनांक 12-10-2020 को थाना जानकीपुरम् लखनऊ द्वारा बताया गया कि दिनांक 13-10-2020 को वादिनी निवासी जानकीपुरम् थाना जानकीपुरम् लखनऊ द्वारा थाना जानकीपुरम् पर अपनी 14 वर्ढीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 323/354क भादवि व धारा 7/8

पाक्सो एक्ट का अभियोग बनाम 1-सिद्धार्थ के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अबरार खान थाना जानकीपुरम् लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 11-10-2020 को** एस0आई0 श्री अबरार खान थाना जानकीपुरम् लखनऊ द्वारा उपरोक्त अभियोग के नामजद अभियुक्त **01-सिद्धार्थ सेंगर उर्फ सिद्धान्त पुत्र अवधेश ऋसह सेंगर निवासी मौर्या भट्ठा नहर रोड जानकीपुरम गार्डेन थाना जानकीपुरम लखनऊ** को मुखबिर की सूचना पर मौर्या भठ्ठा के पास जानकीपुरम् से गिरफ्तार कर थाना जानकीपुरम् पर आव८यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>डी0सी0पी0 पूर्वी</u>

<u>यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।</u>

<u>थाना चिनहट</u>:-दिनांक 12-10-2020 को श्री धनन्जय पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना चिनहट लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01-रवि रावत पुत्र प्रताप रावत निवासी हरदासीखेडा थाना चिनहट लखनऊ के विरूद्व यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

<u>भा0द0वि0</u>

<u>गाजीपुर:-</u>दिनांक 12-10-2020 को श्री आदर्८ा निवासी ग्राम सरसई थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर, हालपता:-हरिहरनगर थाना गाजीपुर लखनऊ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि वह हरिहरनगर गाजीपुर लखनऊ में किराये पर रहता है, और 1076 में काम करता है, उसके साथ किराये के मकान में रुम पार्टनर ८ावम् पाण्डेय जो 1076 में उसके साथ ही काम करता है। दिनांक 11-10-2020 की रात्रि 11.00 बजे जब वह काम से वापस लौटकर आया तो देखा कि उसके कमरे का दरवाजा अन्दर से बंद था, उसने दरवाजा काफी खुलवाने का प्रयास किया, जब दरवाजा नही खुला तो घर के और किरायेदार आ गये, तब दरवाजा धक्का देकर खोला गया तो देखा कि उसके रुम पार्टनर ८ावम् पाण्डेय उम्र करीब 22 वर्द्ग पुत्र लवले८ा निवासी ग्राम खटकरीकलां थाना रामकोट जनपद सीतापुर, हालपता:-हरिहरनगर थाना गाजीपुर लखनऊ ने कमरें में बनी छोटी किचन में ऊपर जाल में केबिल व गमछें का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री राजीव चौहान मो0नं0 7839860995 द्वारा आव८यक वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है।** प्रभारी निरीक्षक गाजीपुर द्वारा बताया गया कि मृतक अविवाहित था।